# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

## पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या : 128/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002**

**यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड** जरिये प्राधिकृत अधिकारी **हेमेन्द्र कुमार**
**शाखा कार्यालयः–** पांचवा तल, आईबीसी टॉवर, अशोक नगर, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–332001

**–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)**

**बनाम**

1. **सिद्धी विनायक एन्टरप्राइजेज़ जरिये प्रोपराईटर दिलीप सिंह करनावत** वार्ड नंबर 26, इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे, एफ–83 बी के पास, सीकर (राज.) 332001
2. **सुमन कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह करनावत,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
3. **महेन्द्र सिंह पुत्र मनोज सिंह करनावत,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
4. **मुमल कंवर पत्नी रामेश्वर सिंह,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
5. **सरोज कंवर पत्नी गिरधारी सिंह करनावत,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
6. **परमेश्वर सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
7. **दिलीप सिंह करनावत पुत्र परमेश्वर सिंह करनावत,** शीतला का बास, वार्ड नंबर 24, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001
8. **ओम सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत,** 225, शीतला का बास, वार्ड नंबर 23, रानी सती रोड, सीकर (राज.) 332001

**–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

**स्वीकृति आदेश**

**दिनांकः 21 जुलाई, 2025**

**1.** प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 क्रमशः **सिद्धी विनायक एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर दिलीप सिंह करनावत, सुमन कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह करनावत, महेन्द्र सिंह पुत्र मनोज सिंह करनावत, मुमल कंवर पत्नी रामेश्वर सिंह, सरोज कंवर पत्नी गिरधारी सिंह करनावत, परमेश्वर सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत, दिलीप सिंह करनावत पुत्र परमेश्वर सिंह करनावत** एवं **ओम सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्तियां निम्न प्रकार हैः–

I. **प्रथम बंधक संपत्तिः– प्लॉट पट्टा नंबर 4218, वार्ड नंबर 23, न्यू शीतला का बास, रानी सती रोड़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 197.40 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रानी सती रोड़ 32'33'' एवं 35'3'' चौड़ी, पश्चिम दिशा में भूतियों की हवेली, उत्तर दिशा में मकान गिरधारी एवं दक्षिण दिशा में मकान सुरेश कुमार स्थित है।

II. **द्वितीय बंधक संपत्तिः– प्लॉट पट्टा नंबर 4219, वार्ड नंबर 23, न्यू शीतला का बास, रानी सती रोड़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 199.40 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रानी सती रोड़ 38'4'', पश्चिम दिशा में भूतियों की हवेली, उत्तर दिशा में मकान रामप्रताप एवं दक्षिण दिशा में मकान ओम सिंह स्थित है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **₹45,40,000/– (अक्षरे रूपये पैंतालीस लाख चालीस हजार) एवं ₹20,47,200/– (अक्षरे रूपये बीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

**2.** पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

**3.** पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

**4.** प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

**5.** अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 क्रमशः **सिद्धी विनायक एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर दिलीप सिंह करनावत, सुमन कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह करनावत, महेन्द्र सिंह पुत्र मनोज सिंह करनावत, मुमल कंवर पत्नी रामेश्वर सिंह, सरोज कंवर पत्नी गिरधारी सिंह करनावत, परमेश्वर सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत, दिलीप सिंह करनावत पुत्र परमेश्वर सिंह करनावत एवं ओम सिंह करनावत पुत्र मनोहर सिंह करनावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की अचल सम्पत्तियां निम्न प्रकार हैः—

I. **प्रथम बंधक संपत्तिः— प्लॉट पट्टा नंबर 4218, वार्ड नंबर 23, न्यू शीतला का बास, रानी सती रोड़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 197.40 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रानी सती रोड़ 32'33" एवं 35'3" चौड़ी, पश्चिम दिशा में भूतियों की हवेली, उत्तर दिशा में मकान गिरधारी एवं दक्षिण दिशा में मकान सुरेश कुमार स्थित है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

II. **द्वितीय बंधक संपत्तिः– प्लॉट पट्टा नंबर 4219, वार्ड नंबर 23, न्यू शीतला का बास, रानी सती रोड़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 199.40 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रानी सती रोड़ 38'4'', पश्चिम दिशा में भूतियों की हवेली, उत्तर दिशा में मकान रामप्रताप एवं दक्षिण दिशा में मकान ओम सिंह स्थित है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

**6.** आदेश आज दिनांक **21 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर